न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 09/2018
दायर दिनांकः 30.10.2018
निर्णय दिनांक 02.05.2019
—:अनवानः—

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक मुख्यालय

प्रार्थी

—:बनामः—

श्री शांतिलाल खटीक, उचित मूल्य दुकानदार मोकेला, ग्राम पंचायत शिशोदा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 21.5 क्विंटल गेहूं घोषित स्टॉक से अधिक पाये जाने से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1— पेरोकार सरकार
2— अप्रार्थी अनुपस्थित

प्रवर्तन निरीक्षक नाथद्वारा ने प्रार्थना पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी के दिनांक 26.10.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.10.2018 को श्री शांतिलाल खटीक उचित मूल्य दुकानदार, मोकेला ग्राम पंचायत, श्शिोदा के विरूद्ध दूरभाष पर अनियमितता के क्रम में शिकायत प्राप्त हुई। इस पर मैं एवं श्री खान मोहम्मद खान हमराह उचित मूल्य दुकान, मोकेला का निरीक्षण करने हेतु उपस्थित हुए। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान उपभोक्ता पखवाड़े में बंद पाई गई, जिस पर उचित मूल्य दुकानदार को दूरभाष पर बुलवा कर दुकान खुलवाई गई। उचित मूल्य दुकानदार से प्राधिकार पत्र, खाद्यान्न एवं केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर, दुकान नक्शा, बिल, चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु दुकानदार द्वारा उक्त कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पास ही की एक अन्य दुकान/कमरा जो नक्शे में अंकित नहीं है, में 21.5 क्विंटल गेहूं अनाधिकृत रूप से भण्डारित पाया गया जिसके संबंध में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस पर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अनाधिकृत भण्डारित पाये गये 21.50 क्विंटल गेहूं को जब्त कर श्री रूपलाल पुत्र श्री शंकरलाल, उचित मूल्य दुकानदार, शिशोदा–ा की सुपुदर्गी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा पर हस्ताक्षर करवाये गये।

इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार, श्री शांतिलाल खटीक का उक्त कृत्य राजस्थान खाध्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015 का उल्लंघन हैं, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय उपराध हैं। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा 21.5 क्विंटल गेहूं को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि गेहूं शीध्र खराब होने वाली वस्तु हैं। अतः धारा 6 ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उक्त सामग्री का उचित मूल्य दुकान के माध्यम से अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश प्रदान करानें की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई।

अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किये जाने पर उचित मूल्य दुकान उपभोक्ता पखवाड़े में बंद पाई गई, जिस पर उचित मूल्य दुकानदार को दूरभाष पर बुलवा कर दुकान खुलवाई गई। उचित मूल्य दुकानदार से प्राधिकार पत्र, खाद्यान्न एवं केरोसीन के स्टॉक रजिस्टर, दुकान नक्शा, बिल, चालान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु दुकानदार द्वारा उक्त कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पास ही की एक अन्य दुकान/कमरा जो नक्शे में अंकित नहीं है, में 21.5 क्विंटल गेहूं अनाधिकृत रूप से भण्डारित पाया गया जिसके संबंध में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस पर अनाधिकृत भण्डारित पाये गये 21.50 क्विंटल गेहूं को जब्त कर श्री रूपलाल पुत्र श्री शंकरलाल, उचित मूल्य दुकानदार, शिशोदा–ा की सुपुदर्गी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा पर हस्ताक्षर करवाये गये।

पेरोकार सरकार की बहस पर गहन मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान की जांच में अप्रार्थी द्वारा घोषित स्टॉक से 21.5 क्विंटल गेहूं पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा उसे जब्त सरकार किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी को अपना पक्ष रखनें हेतु विधिवत तरीके से जरिये नोटिस सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ हैं। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता हैं कि अप्रार्थी को इस मामले में कुछ नहीं कहना हैं। इस प्रकार उक्त मामले में न तो अप्रार्थी उपस्थित हुआ और न ही उसकी ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के खण्डन स्वरुप कोई जवाब व प्रमाण ही पेश किये गये हैं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा 21.5 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाना उचित हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 21.5 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 21.5 क्विंटल गेहूं का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 02.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)